"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 6] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 13 जनवरी 2017—— पौष 23, शक 1938

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 13 जनवरी 2017

अधिसूचना

क्रमांक एफ 6-7/2008/1/एक. — भारत के संविधान के अनुच्छेद 316 के उप खंड (2) के अंतर्गत श्री राम स्वरूप विश्वकर्मा, सदस्य, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग, रायपुर को अधिवार्षिक आयु पूर्ण करने के कारण दिनांक 16-01-2017 (अपरान्ह) से पद मुक्त होंगे.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
डी. डी. सिंह, सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 13 जनवरी 2017

क्रमांक एफ 6-7/2008/1/एक.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 6-7/2017/1/एक, दिनांक 13-1-2017 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
डी. डी. सिंह, सचिव.

Naya Raipur, the 13th January 2017

NOTIFICATION

No. F 6-7/2008/1/One. — Under clause (2) of the Article 316 of the Constitution of India, Shri Ram Swarup Vishwakarma, Member, Chhattisgarh, Public Service Commission, Raipur shall cease to hold the office on the after noon of 16-01-2017 on completion the age of 62 years.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
D. D. SINGH, Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2017.